न्यायालय द्वितीय अपीलीय अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2023 (GCMS/2023/20)
पंजीयन दिनांक - 15.02.2023
आदेश दिनांक - 27.02.2023

श्री कैलाशचन्द्र पिता राधाकिशन रामावत, निवासी 869, निचली पोल, मेनार, वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।	बनाम	प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर

द्वितीय अपील अंतर्गत राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 विरूद्ध जिला कलक्टर, उदयपुर प्रकरण संख्या (सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012)/02/22 निर्णय दिनांक 12.10.2022

निर्णय

दिनांक 27.02.2023

- श्री कैलाशचन्द्र पिता राधाकिशन रामावत, निवासी 869, निचली पोल, मेनार वाया खेरोदा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अंतर्गत अपील दिनांक 10.02.2023 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की जो इस न्यायालय को 13.02.2023 को प्राप्त होकर दिनांक 15.02.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी अनुसार प्रथम अपील अधिकारी द्वारा प्रार्थी की अपील में तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए एक तरफा कार्यवाही करने के कथनों से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

- संभागीय आयुक्त कार्यालय, उदयपुर के पत्रांक 01 दिनांक 15.02.2023 से श्री कैलाशचन्द्र पिता राधाकिशन रामावत द्वारा प्रस्तुत अपील की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर, उदयपुर) को भिजवाते हुए अपील पर जवाब मय अभिलेख चाहा गया।

- प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपील का जवाब दिनांक 16.02.2023 को प्रेषित कर अवगत कराया कि ग्राम मेनार के साबिक आराजी नम्बर 625 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा के वर्तमान सेटलमेंट में आराजी नम्बर 852 रकबा 0.4400 व 853 रकबा 0.18 हक्टेयर बने है, जो वर्तमान

जमाबंदी में आराजी नम्बर 852 का विभाजन होने से इसके नवीन नम्बर 8089/852 रकबा 0.2200 एवं 8090/852 रकबा 0.2200 हैक्टेयर है तथा आराजी नम्बर 853 रकबा 0.18 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर 8089/852 का खातेदार अनिता पत्नि कैलाशचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण साकीन मेनार, आराजी नम्बर 8090/852 का खातेदार उमाशंकर पुत्र उदयलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण साकीन देह एवं आराजी नम्बर 853 का खातेदार कन्हैयाचन्द्र पुत्र देवा हिस्सा पूर्ण साकीन देह खातेदार रिकार्ड दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी के विपक्षीयों द्वारा आवंटन निरस्त का मुकदमा 02/2021 दायर करना बताया है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि उक्त भूमि पर कब्जा संबंधित विवाद होने से सीमा जानकारी कराया जाना संभव नहीं है इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी हेतु प्रकरण दर्ज करवा रखा है जिसका उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय वल्लभनगर में प्रकरण संख्या 46/2022 दिनांक 22.04.2022 से चल रहा है, जिसकी बहस दिनांक 28.09.2022 को होनी थी। दिनांक 21.09.2022 को पटवारी हल्का, मेनार से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त भूमि मौके पर पड़त होकर प्राकृतिक रूप से चारा उगा हुआ हैं एवं मौके पर प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र व अन्य पक्ष अनुपस्थित रहने से कब्जा संबंधी जानकारी नहीं हो सकी तथा किसी प्रकार का नोटिस बोर्ड नहीं पाया गया। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय तक सीमा जानकारी या पत्थरगढ़ी करवाया जाना संभव नही होने से पत्रावली बाद कार्यवाही फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की गई।

- प्रथम अपील अधिकारी से प्राप्त जवाब की प्रति अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 569 दिनांक 20.02.2023 से भिजवाते हुए अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। साथ ही अपना प्रत्युत्तर जरिये ई-मेल से भी प्रेषित करने हेतु लिखा गया।

- प्रश्नगत अपील में प्रथम अपील अधिकारी के उत्तर पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2023 को स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर अवगत कराया कि खसरा संख्या 8089/852, 8090/852 एवं 853 का कुल रकबा 2 बीघा 17 भूमि की पत्थरगढ़ी/सीमा जानकारी का आवेदन तहसीलदार, वल्लभनगर के यहां प्रस्तुत किया तथा इस बाबत उपखण्ड न्यायालय, वल्लभनगर में वाद संख्या 46/2022 अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट भी प्रस्तुत किया फिर को समाधान नही हुआ। इसके पश्चात् लोक सुनवाई अधिकारी को अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें लोक सुनवाई अधिकारी द्वारा पटवारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में उक्त वर्णित आराजी पक्षकारों ने किसी व्यक्ति या किसी भी किराये/गिरवी नही दी है,

तो हमारी खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी ओर का कब्जा केसे हो सकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि समस्त दस्तावेजो का अवलोकन कराते हुए अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों को उचित आदेश प्रदान करावें।

- अपील पर प्रथम अपील अधिकारी के जवाब, प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं मनन किया। अपीलार्थी राजस्व ग्राम मेनार की खाता संख्या नई 1876 पुरानी 1391 साबिक खाता संख्या 625, रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा की सीमा जानकारी व पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि ग्राम मेनार के साबिक आराजी नम्बर 625 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा के वर्तमान सेटलमेंट में आराजी नम्बर 852 रकबा 0.4400 व 853 रकबा 0.18 हक्टेयर बने है, जो वर्तमान जमाबंदी में आराजी नम्बर 852 का विभाजन होने से इसके नवीन नम्बर 8089/852 रकबा 0.2200 एवं 8090/852 रकबा 0.2200 हैक्टेयर है तथा आराजी नम्बर 853 रकबा 0.18 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी नम्बर 8089/852 का खातेदार अनिता पत्नि कैलाशचन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण साकीन मेनार, आराजी नम्बर 8090/852 का खातेदार उमाशंकर पुत्र उदयलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण साकीन देह एवं आराजी नम्बर 853 का खातेदार कन्हैयाचन्द्र पुत्र देवा का हिस्सा पूर्ण साकीन देह खातेदार रिकार्ड दर्ज है।

- प्रकरण में उपखण्ड़ अधिकारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार साबिक आराजी नम्बर 625 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर कब्जे संबंधी विवाद है तथा उक्त वर्णित आराजीयात के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर के यहां आवंटन निरस्ती का प्रकरण विचाराधीन है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर कब्जे संबंधी विवाद है तथा उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 46/2022 अंतर्गत धारा 128 निस्तारित किया जा चुका है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन होकर पेशी दिनांक 22.03.2023 को नियत है।

- प्रस्तुत अपील में यह न्यायालय पाता है कि प्रकरण में वर्णित आराजी में मौके पर विवाद होने तथा अधीनस्थ न्यायालय में आवंटन निरस्ती का प्रकरण विचाराधीन होने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के न्यायालय में दर्ज प्रकरण संख्या 46/2022 अंतर्गत धारा 128 निस्तारित प्रकरण

के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपील प्रस्तुत की है, जो विचाराधीन होने से उक्त आराजी की वर्तमान में सीमा जानकारी/पत्थरगढ़ी करवाया जाना संभव नही है। अतः यह प्रकट होता है कि लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी, जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी के परिवाद पर उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई, अतः लोक सुनवाई अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी अपीलार्थी के अनुरोध पर विनिश्चय करने में सफल रहे है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी परिवादी को उक्त विधिक प्रक्रिया से ससमय अवगत कराया गया और विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार एवं खारिज की जाती है। अपीलार्थी अपने आवेदन/परिवाद के संबंध में सक्षम अधिकारियों के समक्ष पुनः आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। अतः उक्त अपील का निस्तारण करते हुए फैसल शुमार किया जावें एवं नम्बर से कम किया जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर